न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 538 / 2025

हाजरा बानो पत्नी स्व. अब्दुल शकुर जाति कसाई निवासी वार्ड नम्बर 27 बड़ी मस्जिद के पास नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (ई.आर.ओ. एसडीएम) नवलगढ़।

––

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

––

आदेश

दिनांक 29.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 538 / 2025 पर दिनांक 15.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (ई.आर.ओ. एसडीएम) नवलगढ़ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (ई.आर.ओ. एसडीएम) नवलगढ़ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (ई.आर.ओ. एसडीएम) नवलगढ़ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5341–42 दिनांक 15.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (ई.आर.ओ. एसडीएम) नवलगढ़ ने पत्रांक चुनाव / याचिका / 2025 / 601 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2005, 2010, 2015, 2021 में श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा आवेदित चुनाव आवेदन प्रपत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई है। चाही गई सूचना में तत्कालिन चुनाव वर्ष 2021 की सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चूकी है। परन्तु शेष सूचना चुनाव वर्ष 2005, 2010, 2015 पुरानी होने तथा कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। जिसके संबंध में आवेदक को सूचित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही प्रदान की जा सकती है, इसलिये शेष सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (ई.आर.ओ. एसडीएम) नवलगढ़ के पत्रांक चुनाव / याचिका / 2025 / 601 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2005, 2010, 2015, 2021 में श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा आवेदित चुनाव आवेदन प्रपत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई है। चाही गई सूचना में तत्कालिन चुनाव वर्ष 2021 की सूचना प्रार्थी को उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जा चूकी है। परन्तु शेष सूचना चुनाव वर्ष 2005, 2010, 2015 पुरानी होने तथा कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। जिसके संबंध में आवेदक को सूचित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही प्रदान की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं